अध्याय-VII
खनन प्राप्तियाँ

कार्यकारी सारांश

इस अध्याय में हमने जिन विशिष्टताओं को उद्घाटित किया	इस अध्याय में हम 2012-13 के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच में पाये गये गए अवलोकनों से चयनित किये गये ₹ 35.57 करोड़ के द्रष्टव्य मामले प्रस्तुत करते हैं जो खान निदेशक, उप निदेशक खान एवं जिला खनन पदाधिकारियों के कार्यालयों में खनिज रियायत, शुल्क एवं स्वामिस्व से संबंधित हैं जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/ नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। यह चिन्ता का विषय है कि पिछले कई वर्षों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस तरह की त्रुटियों को लगातार हमारे द्वारा बताया गया है, परन्तु विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2012-13 में खनन प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 18.01 प्रतिशत बढ़ी।
आन्तरिक लेखापरीक्षा	विभाग का अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। 2012-13 की अवधि के दौरान वित्त विभाग ने केवल एक इकाई (जि.ख.का., बोकारो) की लेखापरीक्षा संचालित की।
2012-13 में हमारे द्वारा किये गये लेखापरीक्षा के प्रभाव	हमने 2012-13 में खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित 20 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और स्वामिस्व के नहीं/कम आरोपण, कोयले के श्रेणी को निम्न किये जाने के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण, नियत लगान का कम/नहीं लगाया जाना, दंड का नहीं लगाया जाना, ब्याज का अनारोपण तथा अन्य अनियमितताओं के 1,254 मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 68.78 करोड़ का पता लगाया। वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने 426 मामलों में ₹ 41.98 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया और ₹ 4.28 करोड़ की वसूली की।
हमारा निष्कर्ष	**खनन एवं भूत्तव विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र में सुधार के साथ अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना करने की आवश्यकता है ताकि प्रणाली में मौजूद कमजोरियों को दूर किया जा सके और हमारे द्वारा पता लगाए गए त्रुटियों की प्रवृति से भविष्य में बचा जा सके।**

अध्याय-VII: खनन प्राप्तियाँ

7.1 कर प्रशासन

राज्य में स्वामिस्व का आरोपण एवं संग्रहण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज समानुदान नियमावली, 1960 तथा झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2004 के द्वारा शासित होता है।

अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए सरकार के स्तर पर, सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग और विभागीय स्तर पर, खान निदेशक उत्तरदायी हैं। मुख्यालय स्तर पर, निदेशक खान को एक अपर खान निदेशक (अ.खा.नि.) और एक उप निदेशक खान (उ.नि.खा.) द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। राज्य को छः अंचलों[1] में विभक्त किया गया है, प्रत्येक एक उ.नि.खा. के प्रभार में होता है। अंचल को आगे 24 जिला खनन कार्यालयों[2] में विभक्त किया गया है, प्रत्येक के प्रभारी एक जिला खनन पदाधिकारी (जि.ख.प.)/सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.प.) होते हैं। जि.ख.प./स.ख.प. स्वामिस्व एवं अन्य खनन बकाये के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हें खान निरीक्षकों (खा.नि.) द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। जि.ख.प. तथा खा.नि. खनन पट्टा क्षेत्रों के निरीक्षण और खनिजों के उत्पादन एवं प्रेषण की समीक्षा के लिए प्राधिकृत होते हैं।

7.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

बिहार वित्तीय नियमावली, खण्ड-I (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों के बजट प्राक्कलन तैयार करने का उत्तरदायित्व वित्त विभाग में अन्तर्निहित है। यद्यपि, बजट प्राक्कलनों के लिए आँकड़े संबंधित प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किये जाते हैं जो आँकड़ों की शुद्धता के लिए उत्तरदायी हैं। अस्थिर राजस्व के मामले में प्राक्कलन विगत तीन वर्षों के प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होना चाहिए।

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान बजट प्राक्कलनों के विरूद्ध खनन प्राप्तियों की वास्तविक प्राप्तियाँ के साथ-साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर-भिन्न प्राप्तियों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

---

1 चाईबासा, डाल्टनगंज, धनबाद, दुमका, हजारीबाग एवं राँची।

2 बोकारो, चतरा, चाईबासा, डाल्टनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, राँची, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावाँ एवं सिमडेगा।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचलन वृद्धि (+)/ ह्रास (-)	विचलन का प्रतिशत	राज्य की कुल कर-भिन्न प्राप्तियाँ	राज्य के कुल कर-भिन्न प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
2008-09	1,740.00	1,477.94	(-)262.06	(-)15	1,951.74	75.72
2009-10	2,126.47	1,733.15	(-)393.32	(-)18.50	2,254.15	76.89
2010-11	2,086.76	2,055.90	(-)30.86	(-)1.48	2,802.89	73.35
2011-12	2,759.75	2,662.79	(-)96.96	(-)3.51	3,038.22	87.64
2012-13	3,209.92	3,142.47	(-)67.45	(-)2.10	3,535.63	88.88

स्रोत : वित्त लेखा एवं संशोधित प्राक्कलन, झारखण्ड सरकार के 2013-14 के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी।

2012-13 में अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों से प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 18.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग ने बताया कि ये वृद्धि कोयले के स्वामिस्व की दर में वृद्धि के कारण हुई।

7.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का कार्यकलाप

जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, इनका अपना कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। तथापि, वित्त विभाग लेखापरीक्षक के रुप में कार्य करता है। विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2013) कि वित्त विभाग ने वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान केवल एक इकाई, जि.ख.का., बोकारो की लेखापरीक्षा संचालित की और ₹ 12.82 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 13 अवलोकनें प्रस्तुत की। तथापि, इसने उस पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना नहीं दी (दिसम्बर 2013)।

7.4 बकाये राजस्व का विश्लेषण

जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, 31 मार्च 2013 को राजस्व का बकाया ₹ 763.17 करोड़ था, जिसमें से ₹ 158.42 करोड़ पाँच साल से अधिक वर्षों से लम्बित था। वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान राजस्व के बकाये की वर्षवार स्थिति नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अन्तिम शेष
2008-09	290.72	298.35
2009-10	298.35	285.58
2010-11	285.58	565.21
2011-12	565.21	567.45
2012-13	567.45	763.17

स्रोत: खान एवं भूतत्व विभाग।

31 मार्च 2012 को बकाये राजस्व ₹ 567.45 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2013 को ₹ 763.17 करोड़ हो गया। विभाग ने ₹ 933.34 करोड़[3] के लम्बित बकाये की राशि पर की गयी कार्रवाई की स्थिति को प्रस्तुत किया। ₹ 933.34 करोड़ में से ₹ 463.34 करोड़ की माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये थे। ₹ 408.38 करोड़ एवं ₹ 8.68 करोड़ की वसूली क्रमश: न्यायालय एवं अपीलीय प्रधिकारियों द्वारा स्थगित था। ₹ 28.65 लाख एवं ₹ 2.67 करोड़ के माँग क्रमश: आवेदनों की समीक्षा/सुधार तथा व्यापारी/पार्टी के दिवालिया होने के कारण रुके थे। शेष ₹ 49.98 करोड़ के लम्बित बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी।

7.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

7.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान हमने 18 कंडिकाओं में ₹ 221.58 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के स्वामिस्व, लगान एवं दंड के नहीं/कम आरोपण के मामले को उठाया था। जिसमें से सरकार/विभाग ने ₹ 195.51 करोड़ के हमारे अवलोकनों को स्वीकार किया और वर्ष 2012-13 तक ₹ 259.30 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित किया। विवरण नीचे दिये गए तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	आपत्तिग्रस्त राशि	स्वीकृत वसूलनीय राशि	स्तंभ 4 में से 2012-13 तक वसूली की गई राशि[4]
1	2	3	4	5
2007-08	5	17.00	16.57	117.66
2008-09	3	22.75	13.33	124.44
2009-10	3	11.26	11.26	14.95
2010-11	6	24.26	14.65	1.89
2011-12	1	146.31	139.70	0.36
कुल	**18**	**221.58**	**195.51**	**259.30**

स्रोत: खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

[3] विभाग ने 31 मार्च 2013 को प्रतिवेदित राजस्व के लम्बित बकाया ₹ 763.17 करोड़ के विरूद्ध ₹ 933.34 करोड़ के लम्बित बकायों की वसूली की अवस्थाओं को प्रस्तुत किया है। इस विसंगति को विभाग द्वारा मिलान किये जाने की जरुरत है।

[4] यद्यपि वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय अ-लौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग का मौद्रिक मूल्य क्रमश: ₹ 17 करोड़, ₹ 22.75 करोड़ एवं ₹ 11.26 करोड़ था, तथापि सरकार ने ₹ 117.66 करोड़, ₹ 124.44 करोड़ एवं ₹ 14.95 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

7.5.2 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007-08 से 2011-12)

हमने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित 81 इकाइयों की नमूना जाँच की और हमारे निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से स्वमिस्व आदि के कम निर्धारण के ₹ 795.80 करोड़ के राजस्व प्रभाव के 15,390 मामलों को इंगित किया। इनमें से, विभाग/सरकार ने 12,646 मामलों में सन्निहित ₹ 286.25 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और ₹ 44 लाख की वसूली की। विवरण निम्नाकिंत तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखपरीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिग्रत राशि		स्वीकृत राशि		स्तंम्भ 6 में से 2012.13 तक बसूली गई राशि
		मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	14	10,908	407.80	10,114	203.12	0.10
2008-09	20	3,043	210.51	2,507	51.29	0
2009-10	11	249	126.65	23	11.26	0.32
2010-11	19	1,156	49.88	2	20.58	0.02
2011-12	17	34	0.96	0	0	0
कुल	**81**	**15,390**	**795.80**	**12,646**	**286.25**	**0.44**

7.5.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012-13)

वर्ष 2012-13 के दौरान हमने खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित 33 में से 20 इकाइयों, जिनका राजस्व संग्रहण ₹ 2,292.78 करोड़ था, के अभिलेखों की नमूना जाँच की। नमूना जाँच किये गए इकाइयों से 1,254 मामलों में ₹ 68.78 करोड़ के स्वामिस्व, नियत लगान, दण्ड, सूद तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ग	मामलों की संख्या	राशि
1	स्वामिस्व का नहीं/कम आरोपण	131	57.33
2	कोयले की श्रेणी के निम्न किये जाने के कारण स्वामिस्व का कम आरोपण	2	0.90
3	नियत लगान का नहीं/कम आरोपण	16	0.43
4	दंड का अनारोपण	89	1.57
5	सूद का अनारोपण	22	0.32
6	नीलामपत्रवादों का प्रारंभ नहीं होना	89	4.89
7	अन्य मामले	905	3.34
कुल		**1,254**	**68.78**

वर्ष 2012-13 के दौरान हमारे द्वारा उठाए गए 426 मामलों में ₹ 41.98 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य कमियों को विभाग ने वर्ष के दौरान स्वीकार किया और छः मामलों में ₹ 4.28 करोड़ की वसूली की।

इस अध्याय में हम, **₹** 35.57 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के दृष्टांतस्वरुप कुछ मामले प्रस्तुत करते हैं। इनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

7.6 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं करना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (खा.ख.वि.वि.) अधिनियम, 1957 तथा खनिज समानुदान (ख.स.) नियमावली, 1960 पट्टा क्षेत्र से हटाये गये या उपभोग किये गए खनिज पर निर्धारित दर से, निर्धारित तिथि के अन्दर स्वामिस्व के भुगतान का प्रावधान करता है।

खान एवं भूतत्व विभाग ने कंडिका 7.7 से 7.10 में उल्लिखित मामलों में, स्वामिस्व के सही दर लगाने, मासिक विवरणियों आदि की जाँच एवं सत्यापन के संबंध में अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों को पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरुप ₹ 35.57 करोड़ के नहीं/कम आरोपण/उद्ग्रहण हुआ।

7.7 गलत दर के अनुप्रयोग के कारण स्वामिस्व का कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत खनन पट्टाधारी पट्टा क्षेत्र से हटाए गए या उपभुक्त खनिज पर दूसरी अनुसूची में उस समय, उस खनिज पर निर्धारित दर से स्वामिस्व का भुगतान करेगा। तदन्तर, भारत सरकार (भा.स.) ने कोयले के विभिन्न श्रेणियों के लिए आर.ओ.एम.[5] के मूल पिट् हेड मूल्य के आधार पर स्वामिस्व के दर के निर्धारण के लिए एक सूत्र निर्धारित किया। लौह अयस्क के मामले में, ख.स. नियमावली, 1960 के नियम 64 'डी' के अन्तर्गत स्वामिस्व की दर खनिज में विद्यमान लौह की मात्रा पर आधारित है।

हमने, तीन खनन कार्यालयों[6] में 214 पट्टेधारियों मे से 76 पट्टेधारियों द्वारा समर्पित मासिक विवरणियों की जाँच (जनवरी से मार्च 2013 के मध्य) किया। नमूना जाँच किये गए 76 पट्टेधारियों में से 28 पट्टेधारियों ने 2011-12 के दौरान 96.31 लाख मी.ट. विभिन्न खनिजों को प्रेषित किया, जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आर.ओ.एम. कोयले के लिए कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) द्वारा अधिसूचित मूल पिट् हेड मूल्य तथा आइ.बी.एम. द्वारा प्रकाशित लौह अयस्क की मूल्य के आधार पर आरोप्य स्वामिस्व ₹ 209.35 करोड़ के स्थान पर ₹ 177.13 करोड़ आरोपित किया गया। इस प्रकार, जि.ख.प. ने सही दरों के अनुप्रयोग के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया। इसके परिणामस्वरुप ₹ 32.22 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ, जैसा कि नीचे दिए गए तालिका में विवरणित है:

---

[5] रन ऑफ माइन्स।

[6] बोकारो, चाईबासा एवं धनबाद।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम पट्टों की संख्या	खनिज का नाम अवधि	मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	आरोप्य स्वामिस्व आरोपित स्वामिस्व	कम आरोपण	टिप्पणी
1.	बोकारो 9	कोयला 2011-12	9.73	1,759.66 1,588.76	170.90	कोल इंडिया लि. द्वारा अधिसूचित आर.ओ.एम. कोयले के मूल पिट् हेड कीमत के आधार पर स्वामिस्व के दर की गणना नहीं की गई थी।
2.	धनबाद 17	कोयला 2011-12	71.55	11,464.55 9,473.25	1,991.30	
3.	चाईबासा 2	लौह अयस्क 2011-12	15.03	7,710.90 6,650.94	1,059.96	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विद्यमान लौह की मात्रा-वार, औसत मासिक मूल्य के आधार पर स्वामिस्व की गणना नहीं की गई थी।
कुल	**28**		**96.31**	**20,935.11 17,712.95**	**3,222.16**	

हमने विभाग/सरकार को मामले मई 2013 में प्रतिवेदित किया था। सरकार ने सितम्बर 2013 में कहा कि जि.ख.प. बोकारो, धनबाद एवं चाईबासा से संबंधित 28 मामलों में ₹ 32.08 करोड़ की माँग जारी किया गया, जिसमें से तीन मामले में ₹ 4.23 करोड़ वसूली की गयी। चाईबासा के एक मामले में यह कहा गया कि लौह अयस्क में 65 प्रतिशत से ज्यादा विद्यमान लौह के अखिल भारतीय औसत मूल्य के आधार पर स्वामिस्व की वसूली की गई थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि हमारा अवलोकन झारखण्ड के लिए 62 प्रतिशत से 65 प्रतिशत के बीच विद्यमान लौह की मात्रा वाले लौह अयस्क के औसत मासिक मूल्य के आधार पर स्वामिस्व की गणना पर आधारित था। तदन्तर, जवाब और शेष मामलों में वसूली पर जवाब प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

सदृश मामले 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रवितेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 7.4.17.1 में उठाए गए थे जहाँ सरकार ने सूचित किया कि ₹ 13.53 करोड़ के पूरी राशि के लिए माँग का सृजन कर दिया गया था। यद्यपि, समान प्रवृति की त्रुटियाँ/अनियमितताऐं अभी भी जारी हैं जो राजस्व की आवर्ती रिसाव को रोकने में विभाग के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभाशीलता को दर्शाती है।

7.8 कोयले की श्रेणी को निम्न करने के कारण स्वामिस्व का कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9, पट्टेधारी द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये अथवा उपभुक्त खनिज की मात्रा पर कोयले की श्रेणी[7] के अनुसार निर्धारित दर पर स्वामिस्व के भुगतान का प्रावधान करता है। कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004 के नियम 4(2) के प्रावधानों के अनुसार कोलियरी का मालिक कोयले की श्रेणी घोषित करेगा और निर्धारित दर से स्वामिस्व का भुगतान करेगा।

हमने खनन कार्यालयों, गोड्डा एवं रामगढ़ के 32 कोलियरियों में से नौ कोलियरियों के मासिक विवरणियों तथा माँग संचिकाओं की नमूना जाँच (नवम्बर 2012 से मार्च 2013 के मध्य) किया। नमूना जाँच किये गए नौ कोलियरियों में से दो कोलियरियों में हमने देखा कि, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) की एक-एक कोलियरी ने ई.सी.एल. और सी.सी.एल. द्वारा यथा घोषित श्रेणी और जैसा कि कोलियरियों द्वारा जि.ख.का. में समर्पित मासिक विवरणियों में दर्शाया था, ग्रेड-एफ और ग्रेड-बी एल.एफ. के 3.88 करोड़ मी.ट. कोयले के प्रेषण को क्रमश: ग्रेड-जी और सी एल.एफ. में निम्न श्रेणी करते हुए 2011-12 में ₹ 5.10 करोड़[8] के स्थान पर ₹ 3.88 करोड़ स्वामिस्व का भुगतान किया। जि.ख.प. ने सही दर पर स्वामिस्व के आरोपण के लिए कोलियरियों के मासिक विवरणियों में प्रेषित कोयले की श्रेणियों के दावों का ई.सी.एल. तथा सी.सी.एल. द्वारा अधिसूचित श्रेणियों से जाँच और सत्यापन नहीं किया। इसके कारण ₹ 1.22 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

हमने मामले को मई 2013 में सरकार को प्रतिवेदित किया। सरकार ने राजमहल ओ.सी.पी. के मामले में हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2013) कि ₹ 98.50 प्रति मी.ट. की दर पर स्वामिस्व आरोपित कर ₹ 30.02 लाख की माँग सृजित किया गया। यद्यपि, हमने कोल इंडिया लि. द्वारा अधिसूचित

---

7 कोयले की श्रेणी उपयोगी ताप मूल्य, राख की मात्रा और राख एवं आर्द्रता की मात्रा पर आधारित है।

8

(₹ लाख में)

कोलियरी का नाम	वास्तविक श्रेणी निम्न किए गये श्रेणी	अवधि	प्रेषित मात्रा (मी.ट. में)	आरोपित		आरोप्य		कम आरोपण
				दर (₹ प्रति मी.ट.)	राशि	दर (₹ प्रति मी.ट.)	राशि	
सौंदा-डी	बी-एल.एफ. सी-एल.एफ.	अप्रैल से दिसम्बर 2011	26,622.39	187.50	49.92	329.50	87.72	46.35
		जनवरी से मार्च 2012	8,595.95	230.00	19.77	329.50	28.32	
राजमहल ओ.सी.पी.	जी. एफ.	अप्रैल एवं दिसम्बर 2011 के बीच	3,53,236.04	90.00	317.91	111.50	393.86	75.95
कुल			**3,88,457.38**		**387.60**		**509.90**	**122.30**

आर.ओ.एम. कोयले की मूल पिट् हेड मूल्य के आधार पर ₹ 111.50 प्रति मी.ट. की दर से स्वामिस्व की गणना की थी। अत: विभाग ने ₹ 45.93 लाख के कम माँग का सृजन किया। सौंदा-डी के मामले में यह बताया गया कि प्रोजेक्ट प्रभारी, सौंदा-डी द्वारा समर्पित जवाब की जाँच की जा रही थी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

सदृश मामले 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 7.4.17.2 में उठाया गया था और सरकार ने उन मामलों को स्वीकार किया और पूरी राशि ₹ 3.22 करोड़ की माँग का सृजन किया। सदृश त्रुटियाँ अभी भी जारी हैं जो विभाग के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की कमियों को दर्शाती है।

7.9 प्रेषण के छिपाव के कारण स्वामिस्व का कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी खनन पट्टे का धारक पट्टा क्षेत्र से खनिजों के उपभोग अथवा हटाव पर दूसरी अनुसूची में उस समय उस खनिज के लिए निर्दिष्ट दर पर स्वामिस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तदन्तर, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा जून 1970 में जारी आदेश के अनुसार जि.ख.प. मासिक विवरणियों की जाँच और डी.सी.बी. पंजी से मिलान के लिए उत्तरदायी है।

हमने जिला खनन कार्यालय, देवघर में नौ कोलियारियों[9] में से ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लि.के चित्रा कोलियरी की मासिक विवरणियों की जाँच (नवम्बर 2012) किया। हमने देखा कि फरवरी 2011 में श्रेणी 'बी' तथा 'डी' कोयले का अंत शेष 159.04 मी.ट. तथा 84,438.90 मी.ट. दर्शाया गया था, जबकि मार्च 2011 में प्रारम्भिक शेष क्रमश: 24 मी.ट. तथा 16,833 मी.ट. दर्शाया गया। इस प्रकार पट्टेधारी ने 135.04 मी.ट. श्रेणी 'बी' कोयला तथा 67,605.90 मी.ट. श्रेणी 'डी' कोयले के प्रेषण का छिपाव किया। यद्यपि जि.ख.प. मासिक विवरणियों का पूर्ववर्ती माह के मासिक विवरणियों के साथ-साथ माँग, संग्रहण एवं शेष (डी.सी.बी.) पंजी के साथ जाँच करने के लिए उत्तरदायी था तथापि ऐसा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरुप विसंगति अनुद्घटित रही एवं ₹ 1.18 करोड़[10] के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

9 अन्य कोलियरियाँ कार्यरत नहीं है।

10

(₹ लाख में)

कोयले की श्रेणी	फरवरी 2011 का अंतशेष	मार्च 2011 का प्रारंभिक शेष	अन्तर (मी.ट. में)	स्वामिस्व की दर (₹ प्रति मी.ट.)	कम आरोपण
बी	159.04	24.00	135.04	329.50	0.44
डी	84,438.90	16,833.00	67,605.90	174.50	117.97
कुल			**67,740.90**		**118.41**

हमने मामले को मई 2013 में सरकार को प्रतिवेदित किया। सरकार ने कहा (सितम्बर 2013) कि ₹ 1.85 लाख की वसूली कर ली गई थी और ₹ 1 करोड़ के लिए नीलामपत्रवाद दायर किया गया। यद्यपि, शेष ₹ 16.32 लाख पर की गई कार्रवाई सूचित नहीं की गई। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

सदृश मामला 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 7.3.2.3 के प्रथम बुलेट में इंगित किया गया था। तथापि, ऐसी कमियों/अनियमितताओं की प्रवृत्ति अभी भी जारी है जो राजस्व की आवर्त्ती रिसाव को रोकने में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाती है।

7.10 स्वामिस्व का गलत समायोजन

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी खनन पट्टे का धारक पट्टा क्षेत्र से खनिजों के उपभोग अथवा हटाव पर दूसरी अनुसूची में उस समय में उस खनिज के लिए निर्दिष्ट दर पर स्वामिस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तदन्तर, जि.ख.प. द्वारा मासिक विवरणियों की जाँच किया जाना है।

हमने जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ के 22 कोलियरियों में से एक क्षेत्र[11] से संबंधित पाँच सहयोगी कोलियरियों द्वारा समर्पित मासिक विवरणियों की जाँच की (नवम्बर 2012)। नमूना जाँच किये गये पाँच कोलियरियों में हमने देखा कि एक कोलियरी[12] ने अपने सहयोगी कोलियरी[13] से 2011-12 के दौरान 28,682.26 मी.ट. श्रेणी-बी कोयले की प्राप्ति दर्शाया था और इसे स्वामिस्व भुगतान किया हुआ कोयला मानते हुए ₹ 94.44 लाख का समायोजन किया था। सहयोगी कोलियरी के मासिक विवरणियों की तिर्यक जाँच से उद्घाटित हुआ कि उपरोक्त कोयले पर स्वामिस्व का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार, जि.ख.प. ने कोलियरी द्वारा समर्पित मासिक विवरणियों की अपने कार्यालय में उपलब्ध कोलियरी की मासिक विवरणियों का सहयोगी कोलियरी की विवरणियों से तिर्यक जाँच नहीं किये जाने के कारण कोलियरी ने स्वामिस्व के गलत समायोजन का लाभ उठाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 94.44 लाख के स्वामिस्व के समायोजन की गलत स्वीकृति दी गयी।

हमने मामले को मई 2013 में सरकार को प्रतिवेदित किया। सरकार ने बताया (सितम्बर 2013) कि ₹ 94.44 लाख के हमारे अवलोकन के विरूद्ध ₹ 1.14 करोड़

[11] बड़का सयाल क्षेत्र।
[12] भुरकुण्डा कोलियरी।
[13] सौंदा कोलियरी।

की माँग सृजित किया गया। यद्यपि उद्ग्रहण पर प्रतिवेदन प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2013)।

सदृश मामला 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 7.4.17.3 में इंगित किया गया था जहाँ सरकार ने मामलों को स्वीकार किया और ₹ 77.04 करोड़ की पूरी राशि के लिए माँग निर्गत किया। तथापि, सदृश प्रकृति की कमियाँ/अनियमितताएँ अभी भी जारी है जो राजस्व के आवर्ती रिसाव को रोकने में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाती है।

राँची **(मृदुला सप्रू)**
दिनांक **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**
झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**